Dr. Parikshit Kr. Singh
Dept. of LSW
S.N.S.R.K.S College, Saharsa

कारखाना अधिनियम, 1948

स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबद्ध उपबंध

(The provisions of the factories act, 1948 relating to health and welfare)

कारखाना अधिनियम, 1948 भारतीय श्रम विधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक विधान है जो 23 सितम्बर 1948 को अस्तित्व में आया तथा 1 अप्रैल 1949 से इसे लागू किया गया। कारखाना अधिनियम, 1948 का मुख्य उद्देश्य कार्य दशाओं में सुधार लाना, कार्य के घंटे को नियंत्रित करना तथा बालकों एवं स्त्रियों के हितों की रक्षा करना। दूसरे शब्दों में कारखाना अधिनियम, 1948 एक संरक्षात्मक श्रम विधान है जो कार्य की भौतिक दशाओं या नियोजन की शर्तों की न्यूनतम मानक की गारंटी देता है। प्रस्तुत अध्याय में स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है –

स्वास्थ्य संबंधी उपबंध (Provisions relating to health)

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 से 20 में स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों की चर्चा की गई है, जो निम्नलिखित है –

(1) सफाई (Cleanliness) – प्रत्येक कारखाना को नाली, शौचालय या अन्य गंदगी निकासी मार्ग के दुर्गन्ध से मुक्त

रखा जायगा। एकत्रित गंदगी की सफाई प्रत्येक दिन की जाएगी। कार्यस्थल को सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर साफ किया जायेगा। यदि फर्श भीग जाता है, तो जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी। सभी कमरों के भीतरी दीवारों, विभाजकों छतों, आदि किनारों, रास्तों तथा सीढ़ियों की सभी दीवारें का पाँच वर्षों में कम से कम एक बार अवश्य रंग रौगन किया जाएगा। जहाँ धुलने योग्य जल रंग से रंग किया गया हो वहाँ तीन वर्षों में एकबार अवश्य रंग किया जायेगा। चिकनी सतहों की सफाई प्रत्येक चौदह मास की कालावधि में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी। अन्य दशाओं में उनमें चौदह मास की कालावधि में कम से कम एक बार सफेद रंग अवश्य किया जायेगा। सभी दरवाजों खिड़कियों, बाहरों पर रंग रौगन किया जाना आवश्यक है।

(2) कचरे और बहाव या उत्प्रवहन का परिचालन (Disposal of wastes and effluents.)

प्रत्येक कारखाने में शिल्प कर्म प्रक्रिया या निर्माण प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कचरे और बहाव या उत्प्रवहण के शीघ्र परिचालन की व्यवस्था की जाएगी।

(3) वायु का आवागमन तथा तापक्रम (ventilation and temperature)

कारखाना के प्रत्येक कमरे में स्वच्छ वायु देने की क्रिया की व्यवस्था की जाएगी, तथा प्रत्येक कमरे में उपयुक्त तापमान बनाए रखना आवश्यक है ताकि कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा

Scanned with CamScanner

हो सके। दीवारों और छतों के निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तापमान बढ़े नहीं। निर्माण प्रक्रिया में जहाँ ऊँचे तापमान की आवश्यकता होती है, उस स्थानों या भागों को पृथक्करण (Insulate) विसंवाहक (insulator) द्वारा किया जाना आवश्यक है ताकि कर्मकारों के स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचे।

(4) धूल और धुआँ या भाष्प (Dust and fume)

प्रत्येक कारखानों में यदि निर्माण प्रक्रिया में धूल और धुआँ या भाष्प अधिक मात्रा में निकलता हो जो कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो तो इसके संचयन को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए निष्कासक सामग्री (Exhust appliance) प्रयुक्त किया जाएगा। किसी कारखाने में आन्तरिक अंतर्दहन इंजन (Intenal Combustion engine) तब तक नहीं चलाया जाएगा, जबतक उसका निष्कासन स्वच्छ हवा में हो।

(5) कृत्रिम नमीकरण (Artificial Humidification)

उन सभी कारखानों में जहाँ वायु की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती हो तो इस संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है ताकि आर्द्रता के मान को बनाए रखा जा सके। इस हेतु वायु की आर्द्रता को बढ़ाने के तरीकों, आर्द्रता के निर्धारण के लिए परीक्षण, पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने तथा वायु को ठंडा करने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

Scanned with CamScanner

(6) अतिभीड़ या ज्यादाभीड़ (over crowding)

कारखाना के किसी कमरे में श्रमिकों की ज्यादा भीड़ नहीं की जाएगी, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सके। कारखाना अधिनियम, 1948 के आरम्भ के पूर्व प्रत्येक कर्मकार के लिए 9.9 घनमीटर तथा अधिनियम के आरम्भ के बाद प्रत्येक कर्मकार के लिए कम से कम 14.2 घनमीटर जगह की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यकक्ष के तल से 4.2 घनमीटर से ऊपर की जगह को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्य कारखाना निरीक्षक को इस संबंध में छूट देने का भी अधिकार है।

(7) प्रकाश (Lighting)

कारखानों के प्रत्येक भाग में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक है जहाँ कर्मकार काम करते हैं। इस हेतु प्रयुक्त छतों वाली सभी खिड़कियों और रौशनदानों को बाहरी और भीतरी दोनों ओर से साफ रखा जायगा। चकाचौंध करने वाला प्रकाश (Glare) तथा छायाओं (Shadows) को भी रोकने का यथासंभव प्रयास किया जायगा। राज्य सरकार प्रकाश से संबद्ध मानक (Standard) निर्धारित कर सकती है।

(8) पीने का जल (Drinking Water)-

प्रत्येक कारखानों में कर्मकारों के लिए उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी। पेयजल स्थलों पर कर्मकारों की बहुसंख्यक संख्या

Scanned with CamScanner

में बोली जाने वाली भाषा में पीने का पानी लिखा होगा। पेयजल स्थल, नहाने के स्थान, मूत्रालय, शौचालय तथा थूकदान से 6 मीटर दूर होना आवश्यक है। जिन कारखानों में 250 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, वहाँ गर्मी के मौसम में पीने के जल को प्रभावपूर्ण तरीकों से ठंडा करने की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(9) शौचालय और मूत्रालय (Latrines and urinals)

प्रत्येक कारखानों में विनिर्दिष्ट प्रकार के पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था उपयुक्त स्थानों पर करना अनिवार्य है। पुरुष और महिला कर्मकारों के लिए अलग-अलग बंद शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त प्रकाश संवातन की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी स्थानों को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे।

(10) थूकदान (spittoons)

प्रत्येक कारखाना में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदान की व्यवस्था करना अनिवार्य है। थूकदानों को साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जायगा। राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। कोई भी कर्मकार कारखाना की परिसर में यत्र-तत्र नहीं थूकेंगे। थूकदान के अतिरिक्त यत्र-तत्र थूकने वाले कर्मकारों को 500 रु० का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।

Scanned with CamScanner

स्तर निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार किसी भी कारखाना को इस धारा के आदेशों से छूट दे सकती है।

(7) शिशु-कक्ष (Creches)

प्रत्येक कारखाना में जहाँ 30 से अधिक स्त्री श्रमिक नियोजित है वहाँ उनके 6 (six) वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त शिशु गृह की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ये शिशु सदन पर्याप्त रूप से प्रकाश युक्त एवं वायु संचालित होंगे। इनमें पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होगी तथा इन्हें साफ तथा स्वास्थ्य प्रद दशा में रखा जायेगा। शिशु सदन में शिशुओं की प्रशिक्षित स्त्रियों की देखरेख में रखा जायेगा। राज्य सरकार शिशु सदन की स्थिति एवं उनकी बनावट, स्थान, फर्नीचर अन्य उपकरण के स्तर निर्धारण, निःशुल्क दूध या नाश्ते, माताओं के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अंतरालों की व्यवस्था इत्यादि विषयों पर नियम बना सकती है।

(8) कल्याण पदाधिकारी (Welfare officers)

प्रत्येक कारखाना में जहाँ साधारणतया 500 या उससे अधिक श्रमिक नियुक्त हों कब्जेदार (occupier) या अधिष्ठाता के लिए विहित संख्या में कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है। राज्य सरकार इन अधिकारियों के कर्तव्य योग्यताओं तथा सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी।

Scanned with CamScanner

(3) बैठने की सुविधाएँ (Facilities for sitting)

प्रत्येक कारखाना में वैसे सभी श्रमिकों के लिए जिन्हें खड़े रहकर कार्य करना पड़ता है बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएँ की जायेगी ताकि काम के दौरान जब भी उन्हें विश्राम का अवसर मिले वे उसका लाभ उठा सके। यदि मुख्य कारखाना की राय में किसी कारखाना में नियुक्त श्रमिक किसी विशेष निर्माण प्रक्रिया अथवा किसी विशेष कार्यक्रम में बैठकर कुशलता पूर्वक काम कर सकते हैं, तो वह कारखाना के कब्जेदार (occupier) या अधिष्ठाता को ऐसा लिखित आदेश देकर ऐसे श्रमिकों को बैठने की सुविधाओं का प्रबंध एक निश्चित तिथि के पूर्व करने के लिए निर्देश दे सकता है। राज्य सरकार को इस व्यवस्था में छूट देने का अधिकार है।

(4) प्राथमिक उपचार के उपकरण (First aid appliances)

प्रत्येक कारखाना में 150 श्रमिकों की संख्या पर प्राथमिक उपचार हेतु एक उपचार बक्से (First aid Boxes) की व्यवस्था की जायेगी, जो निर्धारित वस्तुओं से सुसज्जित होगी। प्राथमिक उपचार बक्से को एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक उपचार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हो। वह व्यक्ति कारखाना में काम के घण्टों के दौरान हमेशा उपलब्ध होगा। वैसा कारखाना जिसमें 500 से अधिक श्रमिक नियुक्त हो, एक निर्धारित आकार तथा निर्धारित वस्तुओं से सज्जित उपचार कक्ष (Ambulance room) होगा। इसमें निर्धारित चिकित्सा पदाधिकारी और नर्सों के अधिकार

Scanned with CamScanner

कल्याण सम्बन्धी प्रावधान

(Provisions relating to welfare)

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 42 से धारा 50 में कल्याण संबंधी प्रावधानों का विस्तृत विवेचन किया गया है, जो निम्नलिखित है –

(1) नहाने धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

प्रत्येक कारखाना में श्रमिकों के उपयोग हेतु नहाने-धोने की पर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इन सुविधाओं को साफ-सुथरा रखा जाएगा। पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों के लिए अलग-अलग पर्दायुक्त सुविधाओं का प्रबन्ध किया जायेगा। ये सुविधाएँ ऐसे स्थान पर होगी जहाँ श्रमिक सुविधापूर्वक पहुँच सके। इन्हें स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद दशा में रखा जायेगा। राज्य सरकार किसी भी कारखाना या किसी भी निर्माण प्रक्रिया के लिए नहाने-धोने की पर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाओं का स्तर निर्धारित कर सकती है।

(2) वस्त्रों को रखने और सुखाने की सुविधाएँ (Facilities for ~~clothings~~ storing and drying clothings)

राज्य सरकार किसी भी कारखाना के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकती है, जिनमें श्रमिकों द्वारा काम के समय न पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने व गीले वस्त्रों को सुखाने के लिए उपयुक्त स्थानों का प्रबन्ध किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

में रखा जाएगा। ये सुविधाएँ कारखाने में काम के घण्टों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेंगी।

(5) जलपान गृह (Canteens)

जिस कारखाना में साधारणतया 250 या इससे अधिक श्रमिक नियुक्त हों राज्य सरकार नियमानुसार कब्जेदार (occupier) या अधिष्ठाता को जलपान गृह की व्यवस्था एवं देख-रेख करने का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार नियम बनाते समय निम्न बातों का भी निर्धारण कर सकती है – जलपान गृह की व्यवस्था की तिथि, उसकी बनावट, स्थान, फर्नीचर तथा अन्य सामग्री के स्तर, खाद्य सामग्री तथा उसकी दरें जलपान गृह की प्रबन्ध समिति का गठन तथा प्रबन्ध समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व। जलपान गृह के संचालन का व्यय नियोक्ता वहन करेगा।

(6) आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष तथा भोजन कक्ष (Shelters Rest rooms and lunch rooms)

प्रत्येक कारखाना जहाँ साधारणतया 150 से अधिक श्रमिक नियोजित हों, पर्याप्त तथा उपयुक्त आश्रय स्थलों, विश्राम कक्षों और भोजन कक्ष की व्यवस्था की जायेगी तथा उनकी देख-रेख की जायेगी। भोजन कक्ष में पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक है, जहाँ श्रमिक अपना भोजन करेंगे। विश्राम कक्ष तथा भोजन कक्ष पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और वायु संचालित होंगे। इन्हें साफ और ठण्डी अवस्था में रखा जायेगा। राज्य सरकार आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष की सजावट, स्थान, फर्नीचर और अन्य सम्बंधित सामग्री के

(9) पूरक नियम बनाने का अधिकार (Power to make rules to supplement this chapter)

राज्य सरकार किसी भी कारखाना को इस अध्याय के प्रावधानों का पालन करने से छूट देने के सम्बन्ध में तथा प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

—

Scanned with CamScanner